FORM N0. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर

समस्त आम जनता ग्राम जयसिंहपुरा व अन्य बनाम तहसीलदार, मालपुरा व अन्य

किस्म मुकदमा /अपील एल0आर0/नं0 96 /सन् 2017 जिला टोंक

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.11.2017	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। अपीलांट अभिभाषक की अपील के तथ्यों पर सुनी बहस से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ए0एस0ओ0 के समक्ष श्री मांग्या पुत्र श्री रामदेवा चमार द्वारा दिनांक 20.12.1953 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने कर निवेदन किया गया कि ग्राम जयसिंहपुरा के भूमि खसरा नम्बर 496/1 का पर्चा प्राप्त नही हुआ, उस पर मेरा कब्जा है, उसमें से कुछ जमीन 2–3 साल में काश्त भी कर रहे है। इसलिए इसका पर्चा मेरे नाम बनाने की आज्ञा प्रदान की जावें और कुछ जमीन कदीम से पडत है, इसमें मेरे बैल चलते है और कब्जा भी मेरा है, उसका पर्चा भी मेरे नाम करने की आज्ञा दी जावें। उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर वरवक्त तसफिया पेश हो और इन्द्राज के बाबत भी रिपोर्ट पेश हो। तत्पश्चात दिनांक 29.08.1954 को ए0एस0ओ0 द्वारा आदेश दिया गया कि आराजी खसरा नम्बर 496/1 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा मकबूजा ठिकाने से खारिज की जाकर श्री मांग्या पुत्र श्री रामदेव चमार साकिन देह के पर्चा नम्बर 39 शामिल मिसल नम्बर 1616 में दर्ज की जावें, हुकम रूबरू सुनाया गया – बाद अमलदरामद रिपोर्ट पेश हो। उक्त आदेश के बाद खतौनी बंदोबस्त संवत 2010 से 2029 में खसरा नम्बर 496/1 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा श्री मांग्या पुत्र श्री रामदेव चमार के नाम खातेदार के कॉलम संख्या 4 में दर्ज है। तत्पश्चात जमाबंदी संवत 2042 से 2045 में जरिये नामांतरकरण संख्या 258 दिनांक 25.08.1987 के तहत श्री मांग्या की विरासत गोपी, नानगा, नारायण पिता मांग्या के नाम अंकित की गई है तथा जमाबंदी संवत 2070 से 2073 में श्री मांग्या के वारिसान के नाम ही दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त तथ्यों एवं रिकार्ड पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ए0एस0ओ0 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं भू राजस्व अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व तत्समय प्रचलित विधि के अनुसार दिनांक 29.08.1954 को श्री मांग्या पुत्र श्री रामदेव चमार के हक में वादग्रस्त भूमि रिकार्ड में अमलदरामद करने का आदेश पारित किया तत्पश्चात काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने पर श्री मांग्या को राजस्व रेकार्ड में खातेदार अंकित किया है। ऐसी स्थिति में वर्ष 1954 में ए0एस0ओ0 द्वारा खातेदारी अधिकार दिये जाने संबंधी पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को यह अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुति हेतु उक्त अपील अपीलांट अभिभाषक को लौटाई जाना न्यायोचित प्रतीत होने से लौटाई जावें। आदेश सुनाया गया।	